औद्योगिक विकास में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का योगदान (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

शोध–निर्देशक

डॉ. अंकुल पाण्डेय

सहा. प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

शोधार्थी

विश्वदीपक चतुर्वेदी

वाणिज्य विभाग

सारांश

पीटर एफ. डकर–''उद्यमी हमेशा परिवर्तन की खोज करता है, उस पर अनुक्रिया करता है और अवसर के रूप में उसका विदोहन भी करता है।'' "बेरोजगारी की समस्या देश की प्रमुख सामाजिक और आर्थिक समस्या है, जिसका समाधान औद्योगिक विकास से ही संभव है। देश के नवयुवकों को उद्यमी बनाने हेतु सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही है, इन योजनाओं के क्रियान्वयन से जहाँ एक ओर शिक्षित बेरोजगारी का निराकरण होगा, वहीं दूसरी ओर देश का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास भी संभव होगा।" प्रस्तुत शोध पत्र में औद्योगिक विकास में सहायक एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द–औद्योगिक विकास, प्रधानमंत्री सृजन योजना, औद्योगिकीकरण

प्रस्तावना–

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की संरचना को समझने में उसके औद्योगिक ढाँचे से बहुत सहायता मिलती है देश की अर्थव्यस्था के विकास में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उद्योग का आशय उन आर्थिक क्रियाओं से होता है जो किसी वस्तु या सेवाओं के उत्पादन एवं संवर्धन से संबंधित होती है। सामान्यतः जब एक समान वस्तुओं के उत्पादन में उनकी संस्थाएँ या फर्मे लगी रहती है तो ये सभी संस्थाएँ मिलकर उद्योग कहलाती है। जब देश में औद्योगीकरण बढ़ता है तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है तथा आधारभूत संरचना का विकास एवं औद्योगीकरण

से कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव कम होता है। विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम रास्ता औद्योगीकरण ही है क्योंकि औद्योगीकरण ही उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों की उन्नति के साथ–साथ प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि का उत्तम साधन है किन्तु प्रत्येक विकासशील राष्ट्र को विकसित अवस्था तक पहुँचाने के लिए औद्योगीकरण की विभिन्न जटिल एवं दीर्घकालीन योजनाओं के माध्यम से गुजरना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि विश्व के अनेक राष्ट्र औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के उच्च शिखर पर औद्योगीकरण एवं आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से ही पहुँचे है।

अन्य विकासशील राष्ट्रों के समान भारत में भी औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है, ताकि कृषि आधारित उद्योग विकास की नींव का पत्थर बन सकें। विगत पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक विकास के अनेक कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया है। भारतीय औद्योगिक क्रियाओं का जाल न केवल सार्वजनिक क्षेत्र की वृहद एवं मध्यम इकाईयों के रूप में बल्कि निजी क्षेत्र की लघु, अति लघु, एवं कुटीर इकाईयों के रूप में संपूर्ण राष्ट्र में फैला हुआ है। इन सब विकास गतिमानताओं के बावजूद भी भारत में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को संतोष जनक गति प्राप्त नही हो सकी है। यद्यपि वर्तमान समय में भारत की गणना विश्व के दस प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों में की जाने लगी है। ''औद्योगीकरण आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सभ्यता के विकास के साथ ही साथ इस शब्द के महत्व में और भी वृद्धि होती जा रही है। औद्योगीकरण शब्द की उत्पत्ति उद्योग से हुई है उद्योग का साधारण सा अर्थ है परिश्रम करना या प्रयास करना।''

अध्ययन का अवधारणात्मक विवेचन–

औद्योगीकरण आर्थिक प्रगति का मूलाधार है। औद्योगीकरण से गरीबी तथा बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान होता है तथा राष्ट्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होता है। किसी भी दे ा का औद्योगिक विकास उद्यमिता की सफलता पर निर्भर करता है। राष्ट्र के आर्थिक संसाधनों को एकत्रित करने, उन्हें उत्पादक कार्यो में लगाने तथा औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का निराकरित करने में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण उसे औद्योगिक सफलता का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। ''उद्यमिता से व्यक्तियों में साहस की भावना एवं रचनात्मक मनोवृत्तियों का विकास होता है। वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक चिन्तन को प्रोत्साहन मिलता है तथा राष्ट्र आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होता है।''

शोध–पत्र का उद्देश्य–

1. रीवा जिले के औद्योगिक विकास में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के योगदान का अध्ययन करना।
2. रीवा जिले में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से युवा उद्यमी एवं उद्योगों का रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम–

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का वर्तमान नाम **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)** है। यह योजना दो पुरानी योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) को मिलाकर बनाई गई थी. पीएमईजीपी का उद्देश्य गैर–कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना है. शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपना स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भाासन द्वारा 15 अगस्त 1993 को एक अति महत्वाकांक्षी योजना घोशित की गयी है, जो कि 2 अक्टूबर 1993 से संपूर्ण देश में लागू की गई है, इस योजना के अन्तर्गत युवाओं को बैकों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर स्वरोजगार (लघु उद्योग, व्यवसाय अथवा सेवा इकाई) स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इकाई का सुचारू प्रबंधन करने में मार्ग दर्शन/प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान भी इस योजना में किया गया है।

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के हित में अभी तक संचालित की गई समस्त योजनाओं में से संभवतः यह सबसे अधिक व्यापक तथा बहुपयोगी योजना है, जिससे न केवल लाखों शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार का मार्ग प्रशस्त हुआ है, बल्कि इससे देश के औद्योगीकरण (विशेषकर अत्यंत लघु उद्योग के क्षेत्र में) को भी नई दिशा मिली है। यद्यपि यह योजना वर्श 1993 से संचालित की जा रही है। परन्तु बाद में इसके प्रावधानों में कुछ मूलभूत परिवर्तन किए गए है, जिससे यह योजना और भी ज्यादा उपयोगी तथा विस्तृत आधार वाली (ब्राड बेस्ड) हो गयी है।

भारत सरकार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2008 को एक नवीन योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से किया गया है। पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम समाप्त कर दोनों योजनाओं को समन्वित करते हुए यह योजना लाई गई है।

"ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रो के उद्यमियों हेतु यह योजना रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक क्रांन्तिकारी कदम है। 2016–17 से 2022–23 के दौरान रोजगार के 37 लाख अतिरिक्त अवसर इससे सृजित होने की आशा व्यक्त की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में 740 करोड़ रूपये व आगामी चार वर्षो में 4485 करोड़ रूपए का भार इसके लिए सरकार को वहन करना होगा।"

योजना का उद्देश्य–

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का मुख्य उद्देश्य देश के नौजवान युवकों को स्वरोजगार की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से लघु व्यावसायिक इकाईयों की स्थापना हेतु बैकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों को कम ब्याज दर तथा कम मार्जिन मनी के आधार पर आसान भार्तो पर बैकों के माध्यम से ऋण प्रदान करके स्वरोजगार की ओर अग्रसर किया जाता है।

''इस योजना के अन्तर्गत किसी भी ऐसे व्यवसाय के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें पर्याप्त आर्थिक लाभ की सम्भावना हो। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों, लघु व्यवसायों एवं सेवा व्यवसायों के लिए ऋण एवं सहायताएँ प्रदान की जाती है। तथा निः ुल्क प्रि क्षण, मार्गद िन तथा अन्य सहयोग प्रदान किया जाता है।''

शोध प्रविधि–

प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र हेतु जिला उद्योग कार्यालय रीवा एवं विभिन्न बैंकों से आँकड़े जुटाए गए हैं।

सारणी क्रमांक 1

रीवा जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की स्थिति

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	बैकों द्वारा स्वीकृत वितरित प्रकरण	
			स्वीकृत	वितरित
1	2019–20	38	50	40
2	2020–21	46	57	34
3	2021–22	43	45	36
4	2022–23	72	46	23
5	2023–24	72	80	57

स्रोत–जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रीवा

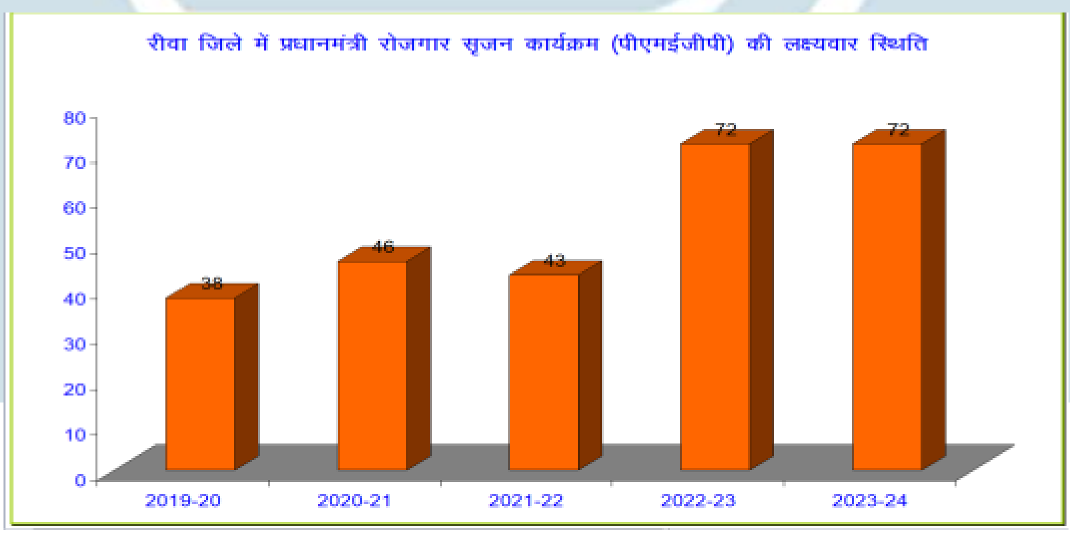

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि रीवा जिले में वर्ष 2019–20 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 38 प्रकरणों का लक्ष्य रखा गया था, स्वीकृत प्रकरणों की संख्या 50 रही। इन प्रकरणों में से कुल 40 बेरोजगारों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण वितरित किए गए। वर्ष 2020–2021 में 46 प्रकरणों का लक्ष्य रखा गया था, स्वीकृत प्रकरणों की संख्या 57 एवं वितरित प्रकरणों की संख्या 34 रही। वर्ष 2021–22 में 43 प्रकरणों का लक्ष्य रखते हुए 45 प्रकरण स्वीकृत किए गए जिसमें से 36 प्रकरणों को ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2023–24 में 72 प्रकरणों का लक्ष्य स्थापित किया गया था, 80 प्रकरण स्वीकृत किए गए तथा 57 प्रकरणों में ऋण उपलब्ध कराए गए।

सारणी क्रमांक 2

सामान्य श्रेणी के पजीकृत हितग्राहियो का

कुल पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या

वर्ष	**सभी श्रेणियो के कुल पंजीकृत हितग्राही (महिला एवं पुरूष)**	**सामान्य श्रेणी के पंजीकृत हितग्राही (महिला एवं पुरूष)**	**सामान्य श्रेणी के पजीकृत हितग्राहियो का कुल पंजीकृत हितग्राहियों से प्रतिशत**
2018	462	332	71.86
2019	2,031	1,361	67.06
2020	3281	2238	68.21
2021	3103	2167	69.84
2022	2101	1337	63.64
2023	2082	1325	63.64
2024	1128	686	60.82
योग	**14188**	**9446**	**66.58**

स्रोत–जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रीवा

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत ऋण लेकर अपना स्वरोजगार स्थापित करने की दिशा में पंजीयन कराने में समान्य श्रेणी के हितग्राहियों की संख्या सबसे अधिक है। उपर्युक्त आँकड़ो के अधार पर वर्ष 2018 में 332 हितग्राहियों ने सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों के रूप में पंजीयन

कराया, इसके पश्चात् अगले वर्षों में क्रमशः 1361, 2238, 2167, 1337, 1325 एवं 686 हितग्राहियों ने पंजीयन और कराया।

पिछले सात वर्षों के पंजीयन आँकड़ो के आधार पर उनका वार्षिक पंजीयन का प्रतिशत 60 से 72 प्रतिशत तक रहा है। जबकि इनका औसत पंजीयन का प्रतिशत गत सात वर्षों में लगभग 67 प्रतिशत रहा है।

सारणी क्रमांक 3

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत पंजीकृत कुल महिला एवं कुल अल्पसंख्यक समुदाय के हितग्राहियों की स्थिति

वर्ष	सभी श्रेणियों के कुल पंजीकृत हितग्राही (महिला एवं पुरूष)	सभी श्रेणियों की कुल पंजीकृत महिला हितग्राही		अल्पसंख्यक समुदाय के कुल पंजीकृत हितग्राही	
		संख्या	कुल पंजीकृत हितग्राहियो से प्रतिशत	संख्या	कुल पंजीकृत हितग्राहियो से प्रतिशत
2018	462	44	09.52	18	03.90
2019	2,031	140	06.89	67	03.30
2020	3,281	227	06.92	82	02.50
2021	3,103	217	06.99	77	02.48
2022	2,101	176	08.38	04	00.19
2023	2,082	158	07.59	86	04.13
2024	1,128	92	08.16	38	03.37
योग	**14,188**	**1,054**	**07.43**	**372**	**2.62**

स्रोत–जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रीवा

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत महिला एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हितग्राहियों का पंजीयन बहुत ही कम संख्या में हुआ हैं। पिछले सात वर्षों में दिये गये उपरोक्त आँकड़ो के अनुसार इनका औसत पंजीयन का प्रतिशत, कुल पंजीकृत हितग्राहियों की तुलना में 7.43 प्रतिशत व 2.62 प्रतिशत ही है।

महिला वर्ग से आशय सभी श्रेणियों की महिलाओं से है, तथा अल्पसंख्यक समुदाय से आशय सिक्ख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध एवं अन्य समुदाय से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के हितग्राहियों के पंजीयन का विश्लेषण–

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने एवं स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु गत सात वर्षों में अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कितने हितग्राहियों (महिला एवं पुरूष) ने पंजीयन कराया है।

सारणी क्रमांक 4

सभी श्रेणियों के हितग्राहियों की संख्या

वर्ष	सभी श्रेणियों के कुल हितग्राही (महिला एवं पुरूष)	अनुसूचित जाति के पंजीकृत हितग्राही (महिला एवं पुरूष)		अनुसूचित जनजाति के पंजीकृत हितग्राही (महिला एवं पुरूष)		पिछडा वर्ग के पंजीकृत हितग्राही (महिला एवं पुरूष)	
2018	462	30	06.96	02	0.43	98	21.21
2019	2,031	214	10.54	14	0.69	442	21.76
2020	3,281	241	07.35	20	0.61	782	23.83
2021	3,103	236	07.61	18	0.58	682	21.98
2022	2,101	163	07.76	17	0.81	584	27.80
2023	2,082	149	07.16	08	0.38	600	28.82
2024	1,128	124	10.99	03	0.27	315	27.93
योग	**14,188**	**1,157**	**08.15**	**82**	**0.588**	**3,503**	**24.69**

स्रोत–जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रीवा

सारणी से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने एवं स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु पंजीयन कराने में इन सभी श्रेणियों के हितग्राहियों का प्रतिशत सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों की तुलना मे काफी कम है। वर्ष 2018 से 2024 तक सात वर्षों के पंजीयन आँकड़ो के आधार

पर अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पंजीयन का प्रतिशत 6.50 से 11 प्रतिशत तक रहा है। जबकि इनका औसत पंजीयन का प्रतिशत गत सात वर्षों में लगभग 8.15 प्रतिशत रहा है।

अर्थात् प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने हेतु पंजीयन कराने वाले 12 पंजीकृत हितग्राहियों में से 01 हितग्राही अनुसूचित जाति वर्ग का होता है। इसी प्रकार गत सात वर्षों के आँकड़ो के आधार पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के पंजीयन का प्रतिशत 0.27 से 0.81 प्रतिशत तक रहा है। जबकि इनका औसत पंजीयन का प्रतिशत गत 7 वर्षों में लगभग 0.588 प्रतिशत रहा है। अर्थात् प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण लेने हेतु पंजीयन कराने वाले 170 पंजीकृत हितग्राहियों में से 01 हितग्राही अनुसूचित जनजाति वर्ग का होता है।

गत सात वर्षों के आँकड़ो के आधार पर पिछड़ा वर्ग हितग्राहियों के पंजीयन का प्रतिशत 21.21 से 28.82 प्रतिशत तक रहा है। जबकि इनका औसत पंजीयन का प्रतिशत गत 7 वर्षों में लगभग 24.69 प्रतिशत रहा है। अर्थात् इस योजना के द्वारा लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीयन कराने वाले 04 पंजीकृत हितग्राहियों में से 01 हितग्राही पिछड़ा वर्ग का होता है। इन सभी श्रेणियों की इतनी कम पंजीयन संख्या का कारण शोधार्थी ने प्रत्यक्ष साक्षात्कार एवं सर्वेक्षण द्वारा मालूम किया, जिससे प्रमुख तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई जो इस प्रकार है–इन श्रेणियों के लोगों की शैक्षणिक योग्यता (विशेष कर अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति) काफी कम रहने से वे योजना का लाभ लेने व सभी आवश्यक कार्यवाही को पूरा करने में परेशानी महसूस करते है। इस योजना के द्वारा ऋण लेकर अपना स्वरोजगार स्थापित करने की दिशा में इन श्रेणियों के हितग्राहियों की क्षमता में कमी का होना।

इन वर्गों में जो व्यक्ति स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री पा लेता है, उसे आरक्षण का लाभ मिलने से शासकीय सेवा या वृहद निजी उद्योगों में नौकरी मिलने का पूरा भरोसा रहता है। इसलिये वे ऋण लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में रूचि नहीं दिखाते।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति के लोगों के लिये सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अलावा भी अन्य कई शासकीय योजनायें चला रखी है जिनसे इन वर्गों के लोगो को आर्थिक लाभ मिल सके। जैसे–जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित द्वारा कई कल्याणकारी योजनायें, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा कई कल्याणकारी योजनायें, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा चलायी जा रही कई योजनायें आदि। बाजार व प्रतिस्पर्धा में न टिक पाने का भय रहना। इन्हीं सब कारणों से इन वर्गों के लोगो का पंजीयन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लोगों की तुलना में काफी कम है।

Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal
Volume 4 | Issue 3 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

निष्कर्ष–

रीवा जिला–प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से सम्पन्न है। यहाँ पर वन सम्पदा, खनिज संपदा तथा श्रम की बहुलता है। फिर भी यह जिला औद्योगिक प्रगति में अन्य जिलों की अपेक्षा की पिछड़ा हुआ है। जिले का औद्योगिकरण बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। औद्योगिकरण के लिए आवश्यक साधनों के होते हुए भी यहाँ के विकास की गति इतनी धीमी क्यों है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है किन कारणों से रीवा जिला आजादी के 78 वर्ष गुजरने के बावजूद भी इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, एक ओर जहाँ देश एवं प्रदेश के अन्य जिले विकास की नई–नई ऊचाईयाँ छू रहे हैं, तथा अन्य शहरों से आने वाले बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहे हैं, वहीं हमारा जिला विकास के समस्त साधनों के होते हुए आज भी अपने यहाँ के निवासियो ंको दो वक्त की रोटी उपलब्ध कराने में सक्षम क्यों नही है यह एक बड़े चिंता का विषय है। यहाँ का औद्योगीकरण शासकीय नीतियों एवं स्थानीय राजनीति से ग्रसित है इसी कारण से यह क्षेत्र प्रगति पथ पर निरन्तर नही बढ़ पा रहा है।

रीवा जिले में वर्ष 2019–20 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 38 प्रकरणों का लक्ष्य रखा गया था, स्वीकृत प्रकरणों की संख्या 50 रही। इन प्रकरणों में से कुल 40 बेरोजगारों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण वितरित किए गए। वर्ष 2020–2021 में 46 प्रकरणों का लक्ष्य रखा गया था, स्वीकृत प्रकरणों की संख्या 57 एवं वितरित प्रकरणों की संख्या 34 रही। वर्ष 2021–22 में 43 प्रकरणों का लक्ष्य रखते हुए 45 प्रकरण स्वीकृत किए गए जिसमें से 36 प्रकरणों को ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2023–44 में 72 प्रकरणों का लक्ष्य स्थापित किया गया था, 80 प्रकरण स्वीकृत किए गए तथा 57 प्रकरणों में ऋण उपलब्ध कराए गए।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत ऋण लेकर अपना स्वरोजगार स्थापित करने की दिशा में पंजीयन कराने में समान्य श्रेणी के हितग्राहियों की संख्या सबसे अधिक है। उपर्युक्त आँकड़ो के अधार पर वर्ष 2018 में 332 हितग्राहियों ने सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों के रूप में पंजीयन कराया, इसके पश्चात् अगले वर्षों में क्रमशः 1361, 2238, 2167, 1337, 1325 एवं 686 हितग्राहियों ने पंजीयन और कराया।

पिछले सात वर्षों के पंजीयन आँकड़ो के आधार पर उनका वार्षिक पंजीयन का प्रतिशत 60 से 72 प्रतिशत तक रहा है। जबकि इनका औसत पंजीयन का प्रतिशत गत सात वर्षों में लगभग 67 प्रतिशत रहा है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत महिला एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हितग्राहियों का पंजीयन बहुत ही कम संख्या में हुआ हैं। पिछले सात वर्षों में दिये गये उपरोक्त आँकड़ो के अनुसार इनका औसत पंजीयन का प्रतिशत, कुल पंजीकृत हितग्राहियों की तुलना में 7.43 प्रतिशत व 2.62 प्रतिशत ही है। महिला वर्ग से आशय सभी श्रेणियों की महिलाओं से है, तथा अल्पसंख्यक समुदाय से आशय सिक्ख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध एवं अन्य समुदाय से है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने एवं स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु पंजीयन कराने में इन सभी श्रेणियों के हितग्राहियों का प्रतिशत सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों

की तुलना मे काफी कम है। वर्ष 2018 से 2024 तक सात वर्षों के पंजीयन आँकड़ो के आधार पर अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पंजीयन का प्रतिशत 6.50 से 11 प्रतिशत तक रहा है। जबकि इनका औसत पंजीयन का प्रतिशत गत सात वर्षों में लगभग 8.15 प्रतिशत रहा है।

संदर्भ–

- एस.के. मिश्रा एवं वी.के. पुरी : भारतीय अर्थव्यवस्था (2007), हिमालय पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
- लक्ष्मीनारायण नाथूरामाका : भारतीय अर्थशास्त्र की समस्यायें (1970), लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा
- वी.एस. माथुर : भारत में सहकारिता
- गोयल, डॉ. अनुपम, 2000, यूनीफाइड व्यावहारिक अर्थशास्त्र, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, इन्दौर
- गोयल, डॉ. अनुपम, 1997, भारत के आर्थिक विकास एवं नियोजन तथा सांख्यिकीय, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, इन्दौर
- कुलश्रेष्ठ, डॉ. आर.एस., 1996, भारत में उद्योगों का संगठन, प्रबन्ध एवं वित्त, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना सामान्य विशेषताएँ और प्रचालन मार्गदर्शिका, नई दिल्ली
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना परिचय एवं प्रगति पुस्तिका, जिला उद्योग केन्द्र, रीवा
- औद्योगिक नीति एवं कार्ययोजना, 2023, वाज्यि एवं उद्योग विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल

❑❑❑